फा.सं. 4-181/2016-17/रा.म.आ.
राष्ट्रीय महिला आयोग
नई दिल्ली

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली- 110025

तारीख: 2 मार्च, 2017

विषय: आयोग की 171वीं बैठक के कार्यवृत्त- के संबंध में

राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस हाल में तारीख 27 जनवरी, 2017 को 12 बजे अपराह्न में आयोजित आयोग की 171वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक और कार्यसूची मदों के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है और उसकी बाबत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट है, यदि कोई हो तो उसे आयोग की आगामी बैठक के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

(जी. नागराजन)
अवर सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य(रेखा शर्मा), सदस्य(सुषमा साहू), सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
3. सदस्य सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
5. उप सचिव के निजी सहायक
6. अवर सचिव (संयुक्त सचिव)/अवर सचिव (जीएन)/वेतन और लेखा अधिकारी/एसआरओ

प्रति: ज्येष्ठ प्रोग्रामर राष्ट्रीय महिला आयोग: लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के कांफ्रेंस हाल में तारीख 27 जनवरी, 2017 को 12 बजे अपराह्न में आयोजित आयोग की 171वीं बैठक का कार्यवृत्त

आरंभ में आयोग ने नए सदस्य सचिव, जिन्होंने हाल ही में आयोग में पदभार ग्रहण किया है, का स्वागत किया। इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुज्ञा से सयुंक्त सचिव ने क्रमानुसार बैठक की कार्यसूची की मदों को प्रस्तुत किया।

निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया:

कार्यसूची मद सं. 1:- तारीख 28 नवंबर, 2016 को आयोजित आयोग की बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 28 नवंबर, 2016 को आयोजित आयोग की 170वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:- राष्ट्रीय महिला आयोग की रजत जयंती समारोह की तैयारी पर विचार-विमर्श।

यह विनिश्चय किया गया कि संपादक, राष्ट्रीय महिला विगत 25 वर्ष से ऊपर की अवधि की राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियों का संकलन करने के संबंध में कार्यवाही आरंभ करें। स्टाम्प निर्मोचित करने की बाबत, डाकघर विभाग के साथ बातचीत की जा रही है; लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री, महिला और बाल विकास, राज्य मंत्री, महिला और बाल विकास, मंत्री, संसूचना और सूचना प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री वाणिज्य और उद्योग, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास आदि को उनकी सुविधानुसार आमंत्रित करने का प्रयत्न किया जाए। इसके अलावा एम.एस. स्वामीनाथन जैसी शख्सियत को भी सम्मिलित किया जा सकता है। प्रस्तावित रजत जयंती से संबंधित तैयारियों में आयोग के कुछ भूतपूर्व अध्यक्ष/सदस्य सम्मिलित होने के लिए सहमत है। राष्ट्रीय महिला आयोग के रजत जयंती समारोह से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए एक समन्वय समिति गठित की जा सकती है। सिक्का निर्मोचित करने से संबंधित श्री आलोक रावत, सदस्य के सुझाव को आयोग द्वारा अभिलिखित किया गया और समुचित प्राधिकारियों के साथ

इस संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा। जेंडर बजट के आवंटन और उपयोग के संबंध में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

(कार्रवाई: पी.आर. प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 3:- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का कार्योत्तर अनुमोदन।

आयोग द्वारा समस्त 32 शिविरों के लिए 38.40 लाख रूपए के व्यय का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष ने यह मत व्यक्त किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक सम्मेलन आयोजित किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस सम्मेलन को काजीरंगा में आयोजित करना श्रेयस्कर होगा और वहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग और इस क्षेत्र के राज्य आयोगों तथा राज्य प्राधिकारियों के बीच संवाद आयोजित किया जाए। सदस्य सचिव ने यह राय व्यक्त की कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक ऐसा जागरूकता अभियान चलाया जाए कि जब वह प्रधान भूभाग क्षेत्र में जाए तब उन्हें सतर्क रहने के लिए कौन सी पूर्वोवधानियां बरतनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष का यह मत है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में चाय बगान में कार्यरत महिलाओं की दशा की समीक्षा की जानी चाहिए और इस मुद्दे को पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल्द ही आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित बैठक में सम्मिलित किया जाए ।

(कार्रवाई: पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 4:- मैसर्स सनसाइन एन्टरप्राईजस द्वारा दो गोदरेज कंपेक्टरस का प्रदाय

आयोग ने मैसर्स सनसाइन एन्टरप्राईजस को 18,04,931 रूपये का संदाय करने के व्यय के लिए कार्योत्तर अनुमोदन स्वीकार किया।

कार्यसूची मद सं. 5:- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का कार्योत्तर अनुमोदन।

आयोग द्वारा समस्त 66 शिविरों के लिए 66.00 लाख रूपये के व्यय का अनुमोदन किया

(कार्रवाई: विधिक प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 6:- वर्ष 2016 के दौरान महिला जनसुनवाईं

आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में अगस्त 2016 से नवंबर 2016 के बीच जनसुनवाईयों के कार्यसंचालन पर विचार किया और सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। अध्यक्ष का यह मत है कि शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि वह अधिक सक्रिय रूप से कार्य करे और यह सुनिश्चित करें कि समय पर शिकायतों पर सम्यक् रूप से समय पर ध्यान दिया जा रहा है और ईमानदारीपूर्वक इनके संबंध में कार्यवाही की जा रही है जिससे न्यायसंगत रूप से उनका अंतिम रूप से निपटारा सुनिश्चित किया जा सके ।

(कार्रवाई:- शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 7:- भारतीय संस्थान, अनुसंधान और विकास (बीआरआईडी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा ''प्राईवेट सेक्टर के संबंध में ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुपालन पर'' अनुसंधान अध्ययन- के संबंध में

आयोग ने भारतीय संस्थान, अनुसंधान और विकास (बीआरआईडी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को आठ मास की अवधि के लिए अध्ययन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 7,02,450 रूपये की रकम को निर्मोचित करने का अनुमोदन किया। इस रिपोर्ट की एक प्रति आयोग के पुस्तकालय में रखी जाएगी और इसके अलावा इसके निर्ष्कषों को महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 8:- राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ) और राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआईआरडी और पीआर) के बीच समझौता ज्ञापन- के संबंध में

आयोग ने सभी प्रकार से पूर्ण राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण विकास से मूल समझौता ज्ञापन अभिप्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 9:- 'महिला संरपंचों और पंचों द्वारा समस्याओं का सामना करने से संबंधित मुद्दे' पर अनुसंधान अध्ययन।

आयोग ने धारा, बोकारो, झारखंड द्वारा किये गए अध्ययन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 49,980 रूपये की रकम के निर्मोचन का अनुमोदन किया । इस रिपोर्ट की एक प्रति आयोग के पुस्तकालय में रखी जाएगी इसके अतिरिक्त इसके निष्कर्षों को महिला और बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाएगा ।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 10:- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को कार्यान्वित करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में के प्राईवेट अस्पतालों की तैयारियां और प्रवर्तन के स्तर पर अनुसंधान अध्ययन- के संबंध में

आयोग ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा अध्ययन का संचालन और उसको पूरा करने के लिए एक वर्ष की अवधि के अध्ययन के प्रस्ताव का और 9,84,900 रूपये की रकम के बजट का अनुमोदन किया और मानक प्रक्रिया के अनुसार इसका निर्मोचन किया जाएगा ।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 11:- "राजस्थान में महिला काश्तकारों की भूमिका और सामाजिक स्थिति" पर अनुसंधान अध्ययन

आयोग ने संगठन से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है और आयोग के विचार को ध्यान में रखते हुए मंजूरी को 2,05,800 रूपये तक निर्बंधित कर दिया गया है। रिपोर्ट की एक प्रति आयोग के पुस्तकालय में रखी जाएगी और इसके अलावा निष्कर्षों को महिला और बाल विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 12:- ग्रामीण आन्ध्र प्रदेश में शराब पीने के कारण महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा में बढ़ोत्तरी: चित्तूर जिले का मामला

आयोग ने संगठन से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है और मानक प्रक्रिया के अनुसार 77,385 रूपये का शेष भुगतान के निर्मोचन का अनुमोदन कर दिया है। रिपोर्ट की एक प्रति आयोग के पुस्तकालय में रखी जाएगी और उसके अलावा निष्कर्षों को महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 13:- ग्रामीण मुकदमा और हकदारी केन्द्र (आर.एल.ई.के.) 68/1, सूर्यलोक कालोनी, राजपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा ''पर्यावरण प्रोत्साहन के लिए परम्परागत दूरदर्शिता का दस्तावेजीकरण: हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जनजाति पहाड़ी महिलाओं की पुकार'' पर अनुसंधान अध्ययन।

आयोग ने ग्रामीण मुकदमा और हकदारी केन्द्र (आर.एल.ई.के.) 68/1, सूर्यलोक कालोनी, राजपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा नौ मास की अवधि के लिए अध्ययन करने और अध्ययन का संचालन और पूरा करने के लिए प्रस्ताव का और 6,56,250 रूपये की रकम के बजट का अनुमोदन कर दिया है तथा मानक प्रक्रिया के अनुसार इस रकम का निर्मोचन किया जाएगा।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 14:- बालगृह पर राष्ट्रीय नीति के संबंध में विशेषज्ञ समिति की ''राष्ट्रीय बालगृह नीति के प्रति एक दृष्टिकोण'' - रिपोर्ट।

आयोग ने इस विषय के संबंध में विस्तृत रूप से विचार किया है और वांछा की है कि इस बाबत आवश्यक कार्रवाई तुरन्त की जाए।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 15:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ द्वारा तारीख 28 नवम्बर, 2016 को आयोजित आयोग की बैठक पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

आयोग ने तारीख 28 नवम्बर, 2016 को आयोजित आयोग की बैठक पर पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार किया।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 1:- ग्रामीण विकास हरियाली केन्द्र भूखंड सं. 14, जाकिर नगर (पश्चिम) नई दिल्ली 110025 द्वारा ''पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत महिलाओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा और बाल देखरेख का: तुलनात्मक अध्ययन'' पर अनुसंधान अध्ययन।

आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

उपरोक्त बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1.	सुश्री ललिता कुमारमंगलम	अध्यक्ष
2.	सुश्री रेखा शर्मा	सदस्य
3.	सुश्री सुषमा साहू	सदस्य
4.	श्री आलोक रावत	सदस्य
5.	श्रीमती सतबीर बेदी	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित ने भाग लिया:-

1.	श्रीमति वंदना गुप्ता	संयुक्त सचिव
2.	श्री वी.वी.बी.राजू	उप सचिव
3.	श्री जे. शैलेन्द्र	अवर सचिव
4.	श्री जी. नागार्जुन	अवर सचिव
5.	श्री राकेश आहूजा	वेतन और लेखा अधिकारी

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(सतबीर बेदी)
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

(ललिता कुमारमंगलम)
अध्यक्ष, रा.म.आ.